न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)

अनुसूची 14 – फारम सं0 562

आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

भू0 सु0 अ0 की धारा 16(3) के तहत **भू–हदबन्दी वाद सं0 –02 / 2016**

शान्ति प्रकाश महतो बनाम पबिता देवी एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3
24/03/23	इस वाद की कार्यवाही आवेदक शान्ति प्रकाश महतो अन्य द्वारा दिनांक 21.02.2017 को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भू0सु0अ0 की धारा 16(3) के तहत कार्रवाई हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आधार पर आरम्भ किया गया। इस वाद में पक्षकार निम्नवत है–	

प्रथम पक्षः– 01. शान्ति प्रकाश महतो पिता स्व0 भद्रा सुदन महतो
02. सर्वेश्वर दास महतो पिता शान्ति प्रकाश महतो
03. मुक्तेश्वर दास महतो पिता शान्ति प्रकाश महतो
04. ब्रहमेश्वर महतो पिता शान्ति प्रकाश महतो
05. पंचानन दास महतो पिता शान्ति प्रकाश महतो
ग्राम+पो0 दुर्गापुर टोला करूजरा थाना कसमार जिला बोकारो।

द्वितीय पक्षः– 01.पबिता देवी पति फागु महतो
ग्राम+पो0 दुर्गापुर टोला हरलाडीह थाना कसमार जिला बोकारो।
02. चन्द्रप्रकाश महतो पिता स्व0 रितबरन महतो
ग्राम+पो0 दुर्गापुर टोला करूजरा थाना कसमार जिला बोकारो ।

विवादित भूमि का विवरणः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
दुर्गापुर	12	2325	0.01 डी0	ठाकुर दास महतो	राम कन्हाई महतो	नीज बिकेता	राम विलास महतो
		2326	0.01 डी0	ठाकुर दास महतो	राधानाथ महतो	राम कन्हाई महतो	नीज बिकेता
		2331	0.25 ए0	बॉध	शान्ति प्रकाश महतो	मानु प्रकाश महतो	नाला
		2332	0.01½ डी0	रामविलास महतो	राम विलास महतो	शम्भु नाथ महतो	राम कन्हाई महतो
		2458	0.03¼ डी0	दुबराज महतो	राम कन्हाई महतो	दुर्गा दास महतो	ठाकुर दास महतो

इस वाद की कार्यवाही के दौरान प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अवलोकन किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बताया साथ ही अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बताया साथ ही अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि बिक्रेता चन्द्र प्रकाश महतो पिता स्व0 रीतवरण महतो ग्राम दुर्गापर टोला कारूजारा थाना कसमार जिला बोकारो के द्वारा विवरांकित भूमि को अपने **Co–Sharer** के साथ बिक्री न कर एक अन्य व्यक्ति को बिक्री कर दिया गया जो न तो **Co–Sharer** है और न ही **Adjoining Raiyat** है, को भारतीय निबंधन अधिनियम,1908 के तहत निबंधित केवाला सं0 1062 दिनांक 07.10.2016 के द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया है। फलस्वरूप आवेदक ने **B.L.R Act**,1961 की धारा 16(3) के निहित प्रावधानानुसार वाद ग्रस्त भूमि को **Condsideration Amount** 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ कोषागार में चालान सं0–226 दिनांक 20.12.2016 के माध्यम से जमा कर **Pre–emtion** दावा किया गया है।

उन्होंने अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि **Adjoining** भूमि के सर्वेखतियान कठिन महतो के नाम से दर्ज है। कठिन महतो के चार पुत्र हुए। 01. भद्रा सुदन महतो 02. नकुल महतो 03. सीताराम महतो 04. रीतबरण महतो। भद्रु सदुन महतो के दो पुत्र शांति प्रकाश महतो एवं मेहीलाल महतो हुए एवं नकुल महतो के एक पुत्र लक्ष्मी नारायण महतो हुए एवं सीताराम महतो के एक पुत्र रामविलास महतो हुए तथा रीतवरण महतो के दो पुत्र भानु प्रकाश महतो एवं चन्द्र प्रकाश महतो (विपक्षी सं0–2) हुए। तत्पश्चात उक्त भूमि पर संयुक्त दखल– कब्जा में आये। रीतवरण महतो अपने पीछे दो पुत्र भानु प्रकाश महतो एवं चन्द्र प्रकाश महतो को छोड मर गये। शांति प्रकाश महतो (आवेदक सं0–1) एवं शांति प्रकाश महतो के पुत्र 01. सर्वेश्वर दास महतो (आवेदक सं0–2) 02. मुक्तेश्वर दास महतो (आवेदक सं0–3) 03. ब्रहमेश्वर दास महतो (आवेदक सं0–4) 05. पंचानन दास महतो (आवेदक सं0–5) एवं रीतवरण महतो के पुत्र चन्द्र प्रकाश महतो (विपक्षी सं0–2) उक्त जमीन पर संयुक्त रूप से दखल–कब्जा में आये। आवेदकगण को कहना है कि आवेदनांकित भूमि के **Adjoining Raiyat** है। परंतु चन्द्र प्रकाश महतो (विपक्षी सं0–2) के द्वारा बिना राय लिए बिना उक्त जमीन केता पबिता देवी को बेच दिये जबकि आवेदकगण उक्त भूमि के हिस्सेदार हैं एवं खरीदने के लिए तैयार थे। फलस्वरूप उनके द्वारा उपरोक्त भूमि को स्वयं (प्रथम पक्ष) के नाम से स्थानांतरण करने का अनुरोध किया गया है।

प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में द्वितीय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। द्वितीय पक्ष सं0–1 के द्वारा 21.02.2017 को एक सुलहनामा आवेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण उक्त भूमि के निकटवर्ती रैयत है एवं उक्त भूमि को आवेदकगण के पक्ष में स्थानातरण करने के लिए तैयार है एवं इस वाद को वापस लेना चाहते हैं तथा सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

Bihar/jharkhand land transfer (Fixation of ceiling of area and Acquisition of surplus land) Act. 1961 की धारा 16(3) के तहत एवं उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं सभी दस्तावेजों के अवलोकन कर पाया कि आवेदकगण द्वारा आवेंदनांकित विवादित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	चौहद्दी				
			बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
दुर्गापुर	12	2325	0.01 डी0	ठाकुर दास महतो	राम कन्हाई महतो	नीज बिक्रेता	राम विलास महतो
		2326	0.01 डी0	ठाकुर दास महतो	राधानाथ महतो	राम कन्हाई महतो	नीज बिक्रेता
		2331	0.25 ए0	बॉध	शान्ति प्रकाश महतो	मानु प्रकाश महतो	नाला
		2332	0.01½ डी0	रामविलास महतो	राम विलास महतो	शम्भु नाथ महतो	राम कन्हाई महतो

		2458	0.03¼ डी0	दुबराज महतो	राम कन्हाई महतो	दुर्गा दास महतो	ठाकुर दास महतो

Premption हेतु उनके आवेदन एवं दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त को समाप्त किया जाता है।

इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करायें।

लेखापित एवं संसोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बेरमो(तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बेरमो(तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.16 02:51:05 -08:00
Location: 192.168.1.35